


राजस्थान सरकार



सत्यमेव जयते

जिले के विकास की पंचवर्षीय (2007–2012) योजना

जिला

1. जिले की सामान्य सूचना

1.1

जिले का क्षेत्रफल	पंचायत समिति संख्या	ग्राम पंचायतों की संख्या	ग्राम संख्या	नगर निकाय संख्या
1	2	3	4	5

कुल जनसंख्या (2001 अनुसार)	पुरुष प्रतिशत	स्त्री प्रतिशत	ग्रामीण प्रतिशत	शहरी प्रतिशत	अनुसूचित जाति प्रतिशत	अनुसूचित जनजाति प्रतिशत
6	7	8	9	10	11	12

जनसंख्या वृद्धि दर (1991-2001)	जनसंख्या घनत्व (प्रति वर्ग कि० मी०)	स्त्री -पुरुष अनुपात	कुल परिवारों की संख्या	बी०पी०एल० परिवारों की संख्या
13	14	15	16	17

व्यवसायिक कार्यों में कुल कार्यशील जनसंख्या	मुख्य कार्यशील (Main Workers)	कृषक (Cultivators)	कृषि श्रमिक (Agriculture Labours)	गृह उद्योग कामगार (House Hold Industrial Workers)	अन्य कामगार (Other Workers)	सीमान्त कामगार (Marginal Workers)
	(1)	(a)	(b)	(c)	(d)	(2)
18	19	20	21	22	23	24

2. जिले में सामाजिक एवं आर्थिक विकास की राष्ट्र एवं राज्य स्तर से तुलनात्मक स्थिति

क्र० सं०	संकेतांक	जिला स्तर	राज्य स्तर	राष्ट्रीय स्तर
1.	शिक्षा 1. साक्षरता दर 2. महिला साक्षरता दर 3. पुरुष साक्षरता दर 4. नामांकन दर 5. शिक्षक छात्र अनुपात			
2.	स्वास्थ्य 1. शिशु मृत्यु दर (IMR) 2. अशोधित जन्म दर (CBR) 3. अशोधित मृत्यु दर (CDR) 4. स्त्री-पुरुष अनुपात 5. दम्पति संरक्षा दर (CPR) 6. कुल प्रजनन दर (TFR)			
3.	आजीविका 1. प्रति व्यक्ति आय 2. गरीबी दर			

2.1 शिक्षा

- 6-14 आयु वर्ग के बच्चों की जनसंख्या का प्रतिशत

<u>कुल बच्चें</u>	<u>स्कूल जाने वाले</u>	<u>की संख्या</u>	<u>नामांकन प्रतिशत</u>
i. लड़के
ii. लड़कियां
- सैकण्डरी/सीनियर सैकण्डरी पश्चात् स्कूल/कालेज जाने वाले बच्चों की संख्या
 - i. लड़के
 - ii. लड़कियां

- व्यावसायिक प्रशिक्षण प्राप्त करने वाले छात्रों की संख्या

	लड़के	लड़कियाँ
i. इन्जीनियरिंग कालेज
ii. आई. टी. आई
iii. पोलोटेक्निक
iv. मेडिकल कॉलेज
v. एम.बी.ए.
vi. अन्य

- ऐसे विद्यार्थी जो पढ़ने में होशियार हैं और जिन्होंने सीनियर सैकण्डरी प्रथम श्रेणी से उत्तीर्ण की है लेकिन गरीबी के कारण उच्च शिक्षा से वंचित रहें विवरण

क्र० सं०	पंचायत समिति का नाम	छात्रों की संख्या
1	2	3

2.2 स्वास्थ्य और स्वच्छता

- 0-1 आयु वर्ग के बच्चों का पूर्ण टीकाकरण का प्रतिशत
- गर्भवती महिलाओं को प्रसव पूर्व/प्रसवोत्तर सेवायें दिये जाने का प्रतिशत.....
- आंगनबाड़ी केन्द्रों पर पूरक पोषाहार प्राप्त कर रहे बच्चों का प्रतिशत
 - 0-3 आयु वर्ग प्रतिशत
 - 3-6 आयु वर्ग प्रतिशत
- पूरक पोषाहार प्राप्त करने वाली गर्भवती महिलाएँ/किशोरी बालिकाओं की संख्या
 - गर्भवती महिलाएँ
 - किशोरी बालिकाएँ
- कितने प्रतिशत घरों में शौचालय उपलब्ध है
- कितने प्रतिशत घरों में स्वच्छ पेयजल उपलब्ध हो रहा है

2.3 गरीबी रेखा से नीचे जीवन-यापन करने वाले परिवारों का प्रतिशत

- आवासविहीन परिवारों का प्रतिशत
- कच्चे घरों में रह रहे परिवारों का प्रतिशत

2.4 परिवारों का प्रतिशत जिनकी आजीविका निर्भर है:-

- कृषि एवं पशुपालन
- कृषि श्रमिक
- अन्य सेवायें (Service).....

स्थानीय संसाधनों से जिले के विकास की क्या-क्या संभावनाएँ हैं एवं किन गतिविधियों से जिले के आर्थिक विकास को गति दी जा सकती है ?

जिले के विकास में क्या-क्या बाधाएँ हैं ?

3. लक्ष्य एवं उद्देश्य (Goals and Objectives) 11वीं पंचवर्षीय योजना (वर्ष 2007–2012)

- जिले की पंचवर्षीय योजना के लक्ष्यों एवं उद्देश्यों का निर्धारण इस प्रकार किया जावे कि जिले का आर्थिक एवं सामाजिक स्तर राज्य के औसत सूचकांक से कम नहीं हो, यदि राज्य औसत पूर्व में प्राप्त कर लिया गया हो, तो लक्ष्यों एवं उद्देश्यों का निर्धारण राष्ट्रीय औसत के सूचकांक को प्राप्त करने के लिये किया जावे।
- गरीबी उन्मूलन, महिला विकास, अनु0जाति एवं अनु0 जन जाति के विकास के लिये विशेष लक्ष्य तय किये जावें।
- लक्ष्यों एवं उद्देश्यों का निर्धारण तार्किक आधार पर किया जावे ताकि उनको वास्तविक रूप से प्राप्त किया जा सके।

3.1 मौजूदा स्थिति से लक्ष्यों तक पहुंचने की रूप-रेखा

विकास से जुड़े समस्त विभाग विशेष तौर पर निम्नलिखित विभाग उनके संबंधित सेक्टर का 11वीं पंचवर्षीय योजना हेतु एक दृष्टि पत्र तैयार कर 11वीं पंचवर्षीय योजना के दौरान उपलब्ध संसाधनों के दृष्टिगोचर रखते हुए वित्तीय व भौतिक लक्ष्य योजनावार निर्धारित कर योजना मुख्य आयोजना अधिकारी को प्रेषित करेंगे।

- 1 कृषि
- 2 पशुपालन
- 3 ऊर्जा
- 4 पेयजल व भू-जल
- 5 शिक्षा (उच्च, तकनीकी व प्रारम्भिक शिक्षा)
- 6 चिकित्सा एवं स्वास्थ्य
- 7 ग्रामीण विकास
- 8 स्वच्छता (Sanitation)
- 9 उद्योग
- 10 सड़के व पुल
- 11 पोषाहार
- 12 नगरीय व शहरी विकास
- 13 वन
- 14 सहकारिता
- 15 जन वितरण प्रणाली (Public Distribution System)
- 16 जल संसाधन
- 17 अन्य जैसे बैंकिंग सेक्टर

दृष्टि पत्र निम्नानुसार तैयार किया जावेगा :-

- i. संबंधित सेक्टर की राज्य व राष्ट्रीय सूचकांको की तुलना में जिले की स्थिति (Situational Analysis i.e. Where we are ?)
- ii. 11वीं पंचवर्षीय योजना के अन्तर्गत किस लक्ष्य तक पहुंचना है (Where we have to reach ? goals and objectives) इन्हें विभाग द्वारा 11वीं पंचवर्षीय योजना के अन्तर्गत निर्धारित लक्ष्यों से जोड़े व उसी अनुरूप रखें।
- iii. लक्ष्यों तक कैसे पहुंचना है ? (How to reach from here to there ? - Strategies) इस भाग में लक्ष्यों की प्राप्ति हेतु प्रस्तावित योजनाओं व कार्यक्रमों का विवरण दें। पूर्व में चल रही योजनाओं का critical evaluation करते हुये उनमें सुधार हेतु अपने सुझाव व चालू व न चालू रखने हेतु भी अपनी राय अंकित करें। योजनाओं पर किये जा रहे निवेश का नतीजा सफल हो, (Successful outcomes) इस हेतु क्या कदम उठाये जायेंगे, उनका भी उल्लेख करें।

प्रत्येक योजना के मुल्यांकन के लिए क्या outcome Indicators होंगे इस बाबत भी प्रत्येक योजना व कार्यक्रम में अंकन करें ताकि निवेश के अंकित लाभ का मूल्यांकन किया जा सके।

- 3.2 (i) 11वीं पंचवर्षीय योजना हेतु वित्तीय व भौतिक लक्ष्य विभिन्न योजनाओं व कार्यक्रमों हेतु केन्द्रीय प्रवृत्तित योजनाओं, सेंटर सेक्टर योजनाओं, राज्य योजना, MPLAD व MLA LAD, जन सहयोग (PPP Model) के तहत 11वीं पंचवर्षीय योजना के सेक्टर हेतु उपलब्ध राशि (Indicated Resources) के आधार पर प्रत्येक योजना व कार्यक्रम के वर्षवार वित्तीय व भौतिक लक्ष्य योजना कार्यकाल (5 वर्ष) हेतु निर्धारित करें। इन लक्ष्यों को निर्धारित करते समय उनके पहले उन कार्यक्रमों व कार्यों को प्राथमिकता पर शामिल करें। जिनकी प्राथमिकता ब्लॉक योजना में दी गई है। इस हेतु योजना विभाग द्वारा प्रस्तावित भौतिक एवं वित्तीय प्रपत्र A, B व C उपयोग में लाये जावें।
 - (ii) ब्लॉक व जिला प्लान में उभरी हुई प्राथमिकताओं को पूरा करने हेतु उपलब्ध संसाधनों के अतिरिक्त यदि धनराशि की आवश्यकता हो तो इसे "अतिरिक्त संसाधनों की आवश्यकता" शीर्षक से प्रस्तुत किया जावें। इन कार्यों के औचित्य व इन्हें इसी पंचवर्षीय योजना में ही पूरा करना क्यों प्रस्तावित है, का पूरा विवरण भी दें ताकि अतिरिक्त संसाधनों के आवंटन पर विचार संभव हो सकें।
4. उपरोक्त प्रस्तावों के अतिरिक्त यदि कोई नवीन योजना हो तो प्रस्तावित करें।
नोट :- उपरोक्त जिला स्तरीय योजना, जिला परियोजना अधिकारी/परियोजना अधिकारी के द्वारा नगरनिकायों के तीनों स्तरों से तैयार करवाकर मुख्य आयोजना अधिकारी जिला परिषद् को प्रस्तुत की जावेगी।